

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर - 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल : aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- F3(ख)(1)अलेसे II / 799

दिनांक :- 22 / 11 / 2019

शुद्धि पत्र

विभागीय आदेश क्रमांक 778 दिनांक 20.11.2019 के कालम संख्या 5 अंकित कार्यालय का नाम "उपनिदेशक/आयुक्त, बाल अधिकारिता विभाग " के स्थान पर " सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई " पढ़ा जावे ।

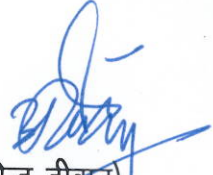

(सुरेश कुमार असवाल)
निदेशक

क्रमांक:-एफ3(ख)(1)/अलेसे-II / 799

दिनांक 22/11/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- 1 संयुक्त शासन सचिव , वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
- 2 विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
- 3 श्रीसलेअ-II कार्यालय
- 4 उपनिदेशक, (एसीपी) को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु ।
- 5 अति0निजी सचिव, निदेशक महोदय ।
- 6 रक्षित पत्रावली ।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक {कार्मिक-II}